

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० मैनपुरी**

पत्रांक 1642 / 1C

दिनांक 06/07/17

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मैनपुरी

विषय:- मैनपुरी में शिकोहाबाद भोगाँव मार्ग (एस०एच०-84) चैनेज 21.00 से 43.80 एवं घिरोर बाईपास लम्बाई 6.56 किमी० कुल 25.66 किमी० लम्बाई में चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण निर्माण कार्य हेतु 24.92755 हे० संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4645 वृक्षों एवं पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ:- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक 2693/मैनपुरी/25364/2017 दिनांक लखनऊ जून 20, 2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें शिकोहाबाद भोगाँव मार्ग चैनेज 21.000 से 43.800 एवं घिरोर बाईपास लम्बाई 6.56 किमी० लम्बाई में चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण निर्माण कार्य हेतु वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित वृक्षों एवं पौधों को काटने की अनुमति चाही गई थी। आज आपके कार्यालय से चाहा गया कि प्रयोक्ता विभाग से सम्बन्धित आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण करें, जो कि बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार है:-

- बिन्दु- 1- प्रस्ताव में एक संयुक्त निरीक्षण आख्या संलग्न कर दी गई है।
- बिन्दु- 2- लो०नि०वि० से सम्बन्धित नहीं।
- बिन्दु- 3- प्रकरण में पर्यावर्णीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।
- बिन्दु- 4- लो०नि०वि० से सम्बन्धित नहीं।
- बिन्दु- 5- लो०नि०वि० से सम्बन्धित नहीं।
- बिन्दु- 6- लो०नि०वि० से सम्बन्धित नहीं।
- बिन्दु- 7- लो०नि०वि० से सम्बन्धित नहीं।
- बिन्दु- 8- लो०नि०वि० से सम्बन्धित नहीं।
- बिन्दु- 9- वर्तमान आर०ओ०डब्लू० प्रस्तावित आर०ओ०डब्लू० तथा चौड़ीकरण के उपरान्त अवशेष संरक्षित वनभूमि दर्शाते हुए स्पष्ट लाईन प्लान (वर्तमान व प्रस्तावित) संलग्न कर दिया गया है।
- बिन्दु- 10- लो०नि०वि० से सम्बन्धित नहीं।
- बिन्दु- 11- लो०नि०वि० से सम्बन्धित नहीं।
- संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

[Handwritten Signature]
1-7-17

पत्रांक

प्रतिलिपि:-

सहायक अभियन्ता तृतीय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

[Handwritten Signature]
(डी०के० चौधरी)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० मैनपुरी
दिनांक

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० मैनपुरी